UPSH010037402026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कक्ष सं0–02, शाहजहाँपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1286/2026

सुनील कुमार पुत्र आयु करीब 42 वर्ष पुत्र स्व0 चेतराम, निवासी ग्राम–गरगैया, थाना–सिंधौली, जिला–शाहजहॉपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन।

मुकदमा अपराध संख्या–397/2024,
धारा–115(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता एवं
धारा–3(1)द एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना–सिंधौली, जिला–शाहजहाँपुर।

दिनांक–01.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **सुनील कुमार** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है तथा अभियुक्त को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–528 भा0ना0सु0 संहिता संख्या–6400/2025, श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, निर्णीत दिनांकित 12.08.2025 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप, उसके जमानत सम्बन्धी अधिकारों से अवगत कराया गया। अभियुक्त ने आग्रह किया कि उसके नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर, निस्तारण किया जावे।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है एवं न ही पूर्व में खारिज हुआ है।

न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस का तामीला पर्याप्त होने व पर्याप्त समय प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वादिनी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा ववता ने सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना दर्ज कराई कि दिनांक 27.07.2024 को उसकी बेटी निरांशी उम्र 16 वर्ष दरवाजे पर बैठी थी, तभी समय करीब रात्रि 08:00 बजे गॉव के नन्हुके पुत्र चेतराम, विजय पुत्र नन्हुके, सुनील पुत्र चतेराम व सुधीर पुत्र सुनील उसके दरवाजे पर आये और गन्दी–गन्दी गालियॉ देने लगे। उसने व उसकी बेटी ने गालियॉ देने से मना किया तो उक्त सभी लोग लाठी–डण्डों से मारपीट करने लगे। बीच–बचाव में उसके पति अभिजीत उर्फ शेरू आये तो उक्त लोगों ने उन्हें भी मारापीटा तथा जान से मारने की धमकी देकर चले गये। मारपीट में उसकी बेटी के खुली चोट तथा उसके व उसके पति के गुम चोटें आयीं।

अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वह निर्दोष हैं, उसे रंजिशन झूॅठा फॅसाया गया है। उसका कथित घटना से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। उसके विरूद्ध कोई विश्वसनीय साक्षी नहीं है। उसके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। वह जमानत उपरान्त बराबर हाजिर अदालत आता रहेगा तथा साक्ष्य को नहीं तोड़ेगा। उक्त आधारों पर अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर, अनुसूचित जाति की वादिनी मुकदमा, उसकी पुत्री व पति के साथ गाली–गलौज कर साशय अपमानित करते हुये, मारपीट की गयी तथा उन्हें जाने से मारने की धमकी देकर अभित्रास कारित किया गया। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

Digitally signed by ASHISH VARMA
Date: 2026.07.01 17:22:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना, जमानत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर, अनुसूचित जाति की वादिनी मुकदमा, उसकी पुत्री व पति के साथ गाली–गलौज कर साशय अपमानित करते हुये, मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का आक्षेप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध सात वर्ष से कम दण्डनीय है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की गयी है। अभियुक्त द्वारा अन्तरिम जमानत पर रहने के दौरान जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है। मामले में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। क्षेत्राधिकारी पुवायॉ, शाहजहॉपुर से प्राप्त आख्या के अनुसार, अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

माननीय न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **Satendra Kumar Antil Vs Central Bureau Of Investigation and Another reported in (2021)10 SCC 773** में प्रतिपादित मत को ध्यान में रखते हुए मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का युक्तियुक्त आधार पाता है। तद्नुसार प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त **सुनील कुमार** द्वारा **मु0 25,000/–रुपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1– प्रार्थी/अभियुक्त यह वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह प्रत्येक नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति की दशा में वे कोई स्थगन नहीं देगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त उक्त अपराध, जैसा करने का उस पर अभियोग या संदेह है, जैसा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को तथ्य प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या प्रलोभन नहीं देगा व न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकती है।

दिनांकः 01.07.2026

(आशीष वर्मा)
विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/
अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
कक्ष संख्या–2, शाहजहॉपुर।
आई0डी0 नं0–यू0पी0 6211